23

नि0-5208/2018/रीवा/भू रा0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म. प्र.

विलोपित / विलोपित विलोपित / विलोपित

रामखेलावन तिवारी पिता शिवशरणराम तिवारी निवासी ग्राम मनिकवार तह0 रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म0 प्र0)

------- पुर्नरीक्षणकर्ता

बनाम

शासन म. प्र. --------- गैर पुर्नरीक्षणकर्ता

अधि0 श्री चितेन्द्र पाठक द्वारा पेश। 25-8-18

पुर्नरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय मंण्डल मनिकवार तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा द्वारा रा. प्र. क्र. 77/अ-12 /2017-18 मे पारित आदेश दिनांक 30-6-18

पुर्नरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता 1959 ई0।

मान्यवर,

पुर्नरीक्षण के आधार निम्नलिखित है :-

(1) यह कि अधी0 न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30-06-2018 जिसमे सीमाकन की पुष्टी की गयी जो विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योंग्य है ।

(2) यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पुर्नरीक्षणकर्ता द्वारा आराजी खसरा क्रमांक 794, 798, कुल 2 किता स्थित भूमि ग्राम मनिकवार तहसील

(23)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला–

प्रकरण क्रमांक क्रमांक निग0 / 5208 / रीवा / 18

रामखेलावन तिवारी / शासन म0प्र0

(1)	(2)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री चितेन्द्र पाठक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल मनिकवार, तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 77 / अ–12 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 30.06.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य